

प्रेषिका,

संगीता,

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष संख्या—2 बदायूँ।

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

बदायूँ।

विषय:-

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय बदायूँ द्वारा वर्ष 2020–2021 के लिए किये गये समग्र निर्धारण (Overall assessment) में दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को उन्नत (Upgrade) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि वर्ष 2020–2021 के दौरान प्रार्थिनी द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–2, सिविल जज (सी0डिं0) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ का कार्यभार संभाला गया। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 12.07.2021 को Case Id: 4697 एवं Employee Id: 2092 के अन्तर्गत मूल्यांकन वर्ष 2020–2021 के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि देते समय प्रार्थिनी की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया है और इसको संदेह से परे (Beyond doubt) पाया है। प्रार्थिनी को जनता और बार के साथ पूर्णतः निष्पक्ष एवं ईमानदार तथा शान्त दिमाग (Cool mind) पाया है। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि पूरे वर्ष के दौरान प्रार्थिनी के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा वादों को समुचित रूप से नियत किया गया है एवं अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपनी प्रविष्टि में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थिनी द्वारा समुचित रूप से तर्क संगत (Well reasoned and sound) निर्णयों को पारित किया है एवं निर्णयों को लिखते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए साक्ष्यों को समुचित रूप से गुण–दोष के आधार पर उसकी विवेचना की है एवं अपने निर्णयों में प्रार्थिनी द्वारा विधि का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। आगे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उसके द्वारा कुल 18 वादों का पूर्ण विचारण के उपरान्त निस्तारण किया गया है और कार्यालय पर पर्याप्त नियंत्रण है और उसकी प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी बतायी है एवं बार के सदस्यों और साथ ही अधिकारियों के साथ उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण अंकित किया है तथा नियमित रूप से न्यायालय एवं कार्यालयों का निरीक्षण किया है। इस

23/07/2021

सबके बावजूद माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारण वर्ष 2020–2021 में प्रार्थिनी को समस्त तथ्यों के होते हुए भी मात्र "Good" प्रविष्टि दी है।

सादर निवेदन करना है कि वर्ष 2020–2021 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण समस्त न्यायालय अधिकतम बन्द रहे तथा माह अगस्त 2020 में न्यायालय खुलने के उपरान्त इस अल्पावधि में भी प्रार्थिनी द्वारा अपने लक्ष्य को पूर्णनिष्ठा, लगन के साथ समुचित रूप से प्राप्त किया जो निम्नलिखित तथ्यों से परिलक्षित होता है:-

प्रार्थिनी द्वारा 05 साल पुराने कुल 90 वाद, 10 साल पुराने 34 वाद, 20 साल पुराने 03 वाद, 30 साल पुराने 02 वाद, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कुल 21 वादों का निस्तारण किया गया है।

प्रार्थिनी द्वारा गुण-दोष के आधार पर कुल 18 वाद जिनमें 06 मूल वाद, 03 लघुवाद, 05 प्रकीर्ण वाद, 03 आर.सी.सी. वाद एवं 01 इन्सॉलवेन्सी वाद तथा पूर्ण संतुष्टि में 10 इजराय वाद एवं अन्य प्रकार से 06 इजराय वादों का निस्तारण किया गया है तथा अन्य प्रकार से 321 वादों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार प्रार्थिनी द्वारा कुल 349 वादों का निस्तारण किया गया।

प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 1987, वर्ष 1989, वर्ष 1993, वर्ष 2011 एवं 2013 से संबंधित 1-1 प्राचीन मूल वाद का निस्तारण किया गया है। एस.सी.सी. के 2004 एवं 2011 के 02 प्राचीन वादों का, आर.सी.सी. से संबंधित 2013 के 01 प्राचीन वाद का एवं 1992, 1998 एवं 2006 के प्राचीन प्रकीर्ण वादों का निस्तारण किया गया है।

प्रार्थिनी द्वारा लोक अदालत में 43 सिविल वादों का निस्तारण किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थिनी द्वारा लक्षित आवश्यक यूनिट्स 521.04 के सापेक्ष कुल 1458.06 यूनिट्स प्राप्त की गयी है जिसके अनुसार प्रार्थिनी द्वारा 279.94 प्रतिशत यूनिट्स प्राप्त की गयी है। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 27.04.2020 से 25.03.2021 तक न्यायालय सिविल जज (सी0डिओ) बदायूँ का कार्यभार ग्रहण करने के साथ साथ शहर अमीन, सहायक जन सूचना अधिकारी, सदस्य 05 साल पुराने वादों के निस्तारण से संबंधित एक्शन प्लान कमेटी, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यभार ग्रहण करते हुए अपने कर्तव्यों का बखूबी व भलीभांति सम्पादन किया गया है।

1— प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2020–2021 के दौरान आयोजित कार्यशाला (WORKSHOPS) एवं वेबीनार में प्रतिभाग किया गया है-

A-On line second round cluster workshop.
B. workshop on expeditious- disposal of cases under section 138 N.I. Act.

2— अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना संख्या C-671/CF(B)/ 2021: Dated: Allahabad: July 17, 2021 में उन समस्त अधिकारियों के प्रति सहानुभूति भाव रखने के लिए निर्देशित किया गया है जो अधिकारी कोरोना महामारी के एवं न्यायालय बन्द रहने के

93/07/2021

कारण माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित यूनिट प्राप्त नहीं कर सके हैं। परन्तु प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त दशाओं के होते हुए भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक यूनिट प्राप्त की गयी हैं।

3— प्रार्थिनी द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता, लगन, मेहनत एवं अपने न्यायिक मतिस्क का पूर्ण प्रयोग करते हुए अपने न्यायिक कर्तव्यों को सम्पादित किया गया है तथा प्रार्थिनी पूर्ण आशावान थी कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायूँ द्वारा प्रार्थिनी के उपरोक्त कार्य के आधार पर समुचित प्रविष्टि प्रदत्त की जायेगी। परन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दी गयी "Good" प्रविष्टि से प्रार्थिनी अत्यंत हताश तथा निराश है।

अतः प्रार्थिनी सादर निवेदन करती है कि प्रार्थिनी के उपरोक्त कार्यों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए प्रार्थिनी का समग्र मूल्यांकन (Overall assessment) उन्नत (Upgrade) किये जाने की कृपा की जावे।

आपसे सादर अनुरोध है कि मेरा प्रतिवेदन (Representation) माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूति पूर्ण विचार किये जाने हेतु रखने की महती कृपा करें।

दिनांक 23.07.2021

भवदीया

(संगीता)

अपर मुख्य न्यायिक माइस्ट्रेट,

कक्ष सं0-2

बदायूँ।

ID NO.UP 2092

Office of the District Judge

BUDAUN

No 1929 147/Budam Dated 26.07.2021

RECORDED

DISTRICT JUDGE
BUDAUN